नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.3.22	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड, प्रा०पत्र 212, जवाब का अवलोकन किया। बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने और बहस सुनने के उपरान्त इस न्यायालय द्वारा तीनों बिन्दुओं को तय करना है। प्रथम दृष्टया मामला :- प्रार्थीगण द्वारा संवत 2060-2063 तथा इससे पहले के पुराने राजस्व अभिलेख की प्रतियां पेश की गई तथा मिलान खसरा भी पेश किया हुआ है। वर्तमान अभिलेख की नई खाता सं. 182 की आराजी सं 104 वगै० कुल रकबा 7.26 हैक्टेयर का पुराने अभिलेख में आराजी सं 534/78 वगै. कुल रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा के रूप में दर्ज होना तथा गोपालदान चारण की विरासत से प्रार्थीया सायर कुंवर वगै० को प्राप्त होना भी प्रथम दृष्टया जाहिर है। इसी न्यायालय में पूर्व निर्णित वाद 222/1990 निर्णय 7.04.2000 में उपरोक्त आराजियात शामिल है। श्रीमती भूरकुंवर भी पक्षकार रही है। वाद के निर्णय के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की भूमियां प्रार्थीया सायर कुंवर की एकमात्र [illegible] में घोषित होना जाहिर है। [illegible] विवादित भूमि में प्रार्थीया [illegible] संबंध तथा मामला साबित करने में सफल रही है। विपक्षी सं० 01 ने अपना 1/2 हिस्सा जरिये विरासत वसीयत प्राप्त होना बताया है किन्तु उक्त वसीयत श्रीमती भूरकुंवर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.03.23 10:31:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	यह सभी तथ्य विधिवत विचारण से मूल वाद में तय होंगे जिन पर इस स्तर पर कोई निष्कर्ष पारित नहीं किया जा सकता है। इसी न्यायालय से पूर्व में प्रार्थीया को खातेदारी का जो अनुतोष दिया है उसे सुरक्षित रखा जाना तथा विपक्षी सं० 01 के भी ऐतराज को विधिवत मूल दावे में तय किया जाना उचित पाने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में बनना पाया जाकर मूल दावे के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित है। **सुविधा का संतुलन :-** प्रार्थीगण का तर्क रहा कि विवादित भूमियों में जो कुये की भूमि है उस पर वर्तमान में उन्ही का कनेक्शन व मोटर लगी है। विपक्षीगण को पाबंद नहीं करने पर उनके एकमात्र हिस्से में हस्तक्षेप होगा तथा झगडे बढेंगे। इसके विपरित विपक्षी सं० 01 की ओर से कथन रहा कि उनके द्वारा डिमांड राशि जमा करायी जा चुकी है। और मोटर कनेक्शन नहीं होने पर फसल सूख जायेगी। ध्यान अ स्वीकृत है कि अब तक विपक्षी [illegible] को उक्त भूमि पर [illegible] नहीं रहा। विपक्षी सं० 0[illegible] का प्रमुख ऐतराज यह रहा कि विपाक्षीयां सह खातेदार है और उसके विरूद्ध स्थगन स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनके द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये- (1) RRT 2014-15 (SUPP) पेज 657	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.03.23 10:31:44 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ____________ मुकाम ____________

____________ बनाम ____________

किस्म मुकद्दमा ____________ नं. ____________ सन् ____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इसके जवाब मे प्रार्थिया के अधिवक्ता द्वारा निम्न दृष्टांत पेश हुये - (1) RRT 2020(2) पेज 1081 (2) RRT 2020(1) पेज 474 (3) RRT 2019(1) पेज 27। उक्त न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। हस्तगत मामले मे जो कुये की भूमि हैं उनके प्रस्तुत फोटोग्राफस से और इसी न्यायालय के निर्णय से प्रार्थीया अपना प्रथम दृष्टया मामला पूर्व स्थापित कर चुकी है। न्यायिक दृष्टांतो मे नवीनतम व्यवस्था भी यही है कि जहाँ तीनो तात्विक बिन्दु प्रमाणित हो सह खातेदार के विरुद्ध स्थगन प्रदान किया जा सकता है। यदि स्थगन प्रदान नही किया गया तो मामले मे पेचीदगियां बढेंगी [illegible] और भूमि हस्तांतरित होने की संभावना भी रहेगी जबकि अब तक विपक्षी सं. 01 को कोई कनेक्शन प्राप्त नही रहा हैं। तो वैकल्पिक व्यवस्था ... होगी। अतः	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.03.23 10:31:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>अपूर्णनीय क्षति</u> :- पूर्व वर्णित अनुसार चूंकि दोनों बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में तय किये जा चुके हैं। प्रार्थिया संवत 2032 से यानि 35 वर्ष से अधिक समय से उक्त भूमि की खातेदार हैं व उपयोग कर रही हैं और न्यायालय के निर्णय से एकमात्र खातेदारी घोषित की जा चुकी है जबकि विपक्षियां संवत 2056 में सहखातेदार बनी हैं। विपक्षिया का यह एतराज कि प्रार्थिया का दावा मियाद बाहर है और वसीयत खारिज किये बिना नहीं चल सकता है। इस बिन्दु पर मूल वाद में तनकी बनकर तय होंगे किन्तु इस तर्क के आधार पर स्थगन अस्वीकार करना उचित नहीं है क्योंकि जहां मूलवाद में विपक्षियां की सहखातेदारी को चुनौती दी हुई है और मौजूदा विद्युत कनेक्शन से प्रार्थिया के नाम पर बताया गया है तो स्थगन प्रदान नहीं करने पर प्रार्थिया के हक निश्चित रूप से प्रभावित होंगे जिनकी पूर्ति संभव नहीं है और हस्तान्तरित हो जाने पर दावा पेश होने का प्रयोजन व्यर्थ हो जायेगा मूल वाद घोषणा का है जो महत्वपूर्ण प्रकृति का है। तथा दावे [illegible] पक्षकारान के तय होने तक [illegible] स्थगन प्रदान नहीं करने पर [illegible] प्रार्थिया को होगी। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार तीनों बिन्दुओं को तय कर इस न्यायालय की पूर्व में दिनांक 16/8/2021 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश को कन्फर्म कर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.03.23 10:31:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी नं. 104, 109, 234, 312, 313, 369, 370, 371, 374, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 390, 393, 397, 399, 403, 406, 407 कुल रकबा 7.26 हैक्टेयर भूमि की राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे और किसी अन्य व्यक्ति को विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया जावें। नन निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद संलग्न हो। (बिन्दु बाला राजावत) उपखण्ड अधिकारी R.A.S. बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.03.23 10:31:44 IST
Reason: SelfAttested